मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 492 /एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/13 भोपाल दिनांक 16/1/13

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत .... समस्त

विषय – **नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला 2012 के संबंध में।**

संदर्भ – भारत सरकार का पत्र क्र. जे–11060/10/2012 दिनांक 21.12.12

संदर्भित पत्रानुसार दिनांक 02 फरवरी 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष की भांति भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रत्येक जिले से 03 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जाना है।

निम्न प्रकार से 03 प्रतिभागी का चयन किया जाना है –

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक या कोई एक कार्यक्रम अधिकारी
2. पंचायत राज संस्थाओं से एक प्रतिनिधि (महिला प्रतिनिधि/अजा/अजजा प्रतिनिधि को प्राथमिकता)
3. 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाला एक श्रमिक (महिला/अजा/अजजा को प्राथमिकता)

प्रतिभागियों के चिन्हांकन एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए–

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उपरोक्तानुसार 03 प्रतिभागियों के दल का चयन किया जावेगा। जिसमें चयनित अधिकारी समूह का समन्वयक अधिकारी होगा।
2. चयनित प्रतिभागियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नं. की जानकारी दिनांक 18.1.2013 तक निम्न प्रारूप में दिया जावे –

क्र.	नाम	पदनाम श्रमिक/पंचायत प्रतिनिधि/शास. कर्मचारी(समन्वयक)	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	जिला पंचायत का नाम	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

3. यात्रा व्यवस्था –

- यात्रा हेतु राज्य शासन अथवा परिषद मुख्यालय द्वारा व्यवस्था नहीं की जा रही है। दल के समस्त प्रतिभागीगण जिले में एकत्रित होकर नई दिल्ली हेतु यात्रा करेंगे। यात्रा हेतु तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में आरक्षण कराया जा सकता है।
- नई दिल्ली पहुंचने पर रेल्वे स्टेशन से मध्यांचल भवन एवं पुनः रेल्वे स्टेशन छोड़ने हेतु वाहन व्यवस्था समन्वयक (शासकीय कर्मचारी) द्वारा की जावेगी। इस पर हुए वास्तविक व्यय का भुगतान जिले द्वारा किया जायेगा।
- प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे दिनांक 31.1.2012 को रवाना होकर दिनांक 01.2.2013 को दोपहर 3:00 बजे तक नई दिल्ली पहुंच जावें। दिनांक 02.2.13 को कार्यक्रम का समापन सायंकाल तक होना संभावित है। अतः यात्रा वापसी हेतु दिनांक 02.2.2013 को रात्रि 8:00 बजे के पश्चात का आरक्षण पूर्व से ही करा लिया जावे।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक का यह दायित्व होगा कि जिला स्तरीय दल के लिए ट्रेन में आरक्षण व्यवस्था तत्काल करा दें। आरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि जिला पंचायत द्वारा व्यय की जावेगी। यात्रा का विस्तृत विवरण (Travel Plan) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बनाया जावे।
- सभी प्रतिभागी अपने साथ दो पासपोर्ट साईज फोटो साथ में रखें। फोटो के पीछे प्रतिभागी का नाम, स्थानीय पता, दूरभाष/मोबाईल नं. लिखें। जॉबकार्ड अगर हो तो साथ में लाएं। प्रतिभागी का अधिकृत परिचय पत्र यथा–मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, राशन कार्ड इत्यादि में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य है। कीमती आभूषण, अन्य कीमती सामान साथ में न रखें। मौसम के दृष्टिगत समस्त प्रतिभागी स्वेटर, गर्म कपड़े, कम्बल, मोजे आदि साथ में रखें। वृद्ध, अस्वस्थ, विकलांग, गर्भवती महिलाएं एवं छोटे बच्चों सहित महिलाएं यात्रा न करें।
- समन्वयक अधिकारी को सलाह दी जाती है कि वे पूरी यात्रा के दौरान छोटी–मोटी बीमारी जैसे–सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सर्दी, खांसी इत्यादि की दवाईयां अपने साथ अवश्य रखें।
- समन्वयक अधिकारी को संबंधित जिला पंचायत से बतौर अग्रिम राशि रु. 10,000/– साथ में रखना अनिवार्य होगा, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में उसका सदुपयोग किया जा सके।

- यात्रा हेतु निम्न प्रपत्र में जानकारी दी जावे –

जिले का नाम :–

क्र	दल में प्रतिभागियों की संख्या	नई दिल्ली जाने हेतु ट्रेन की जानकारी			नई दिल्ली से लौटने हेतु ट्रेन की जानकारी		
		यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन एवं समय	ट्रेन का नाम एवं नम्बर	यात्रा समाप्ति का स्टेशन एवं समय	यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन एवं समय	ट्रेन का नाम एवं नम्बर	यात्रा समाप्ति का स्टेशन एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8

4. आवास व्यवस्था – नई दिल्ली में मध्यांचल भवन में आवास व्यवस्था रहेगी।

5. भोजन व्यवस्था – प्रत्येक जिले के समन्वयक को (शासकीय कर्मचारी) प्रति व्यक्ति भोजन के लिए राशि रु. 300/– अधिकतम व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है। दिनांक 02.2.2013 को दोपहर के भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर आयोजक द्वारा की गई है।

6. भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार मेला कार्यक्रम बाद में प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त जानकारी अनिवार्यतः दिनांक 18.1.2013 तक फैक्स (0755–2550094) एवं ईमेल–rddmp@rediffmail.com एवं rddmp@yahoomail.com पर उपलब्ध करायें।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ. क्र./ 493 /एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/13 भोपाल दिनांक 16/1/13

प्रतिलिपि –

1. संभागायुक्त .... समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला .... समस्त की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल